न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या 18 / 2023
जीसीएमएस नम्बर 2023 / 652

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. ओमप्रकाश सोनी पुत्र हेमराज सोनी (माहेश्वरी) फर्म मैसर्स जय मार्केटिंग, कुम्हारों का बास, ओंसिया, जिला जोधपुर। निवासी कुम्हारों का बास, ओसियां जोधपुर।
2. सौरभ खैतान पुत्र सुरेश खैतान, फर्म मैसर्स श्री महावीर इन्टरप्राईजेज, प्लॉट संख्या 179, गली संख्या 07, मिल्क मैन कोलोनी, जोधपुर। निवासी वार्ड नम्बर 01, ईन्दरा नगर, झुन्झून, राजस्थान।
3. वडोदरिया किशोरभाई सावजी भाई (नोमिनी)। फर्म मैसर्स YASH DAIRY SPICES & FOODS PVT. LTD. PLOT NO. 6, BLOCK NO. 462, SURVEY NO. 776 KARSAN FALIA, OZAR ROAD, MOTAPONDHA - 396191, DIST VALSAD, GUJRAT निवासी 25, वृज विहार सोसायटी, बापू नगर, अहमदाबाद सिटी, गुजरात 380023।
4. फर्म मैसर्स YASH DAIRY SPICES & FOODS PVT. LTD. PLOT NO. 6, BLOCK NO. 462, SURVEY NO. 776 KARSAN FALIA, OZAR ROAD, MOTAPONDHA - 396191, DIST VALSAD, GUJRAT (निर्माता फर्म)

उपस्थिति

अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

—:आदेश :— दिनांक :— 24.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.10.2021 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स जय मार्केटिंग, कुम्हारों का बास, औसियां जिला जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय दुकान पर [illegible] एफबीओ व मालिक की हैसियत से

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:32 IST
Reason: SelfAttested

श्री ओमप्रकाश सोनी पुत्र हेमराज सोनी (माहेश्वरी) उम्र 49 वर्ष निवासी – कुम्हारों का बास, औंसियां जिला जोधपुर उपस्थित मिले तथा उक्त परिसर पर आम जनता को किराणा को उपयोग/विक्रय हेतु खाद्य सामाग्री पदार्थ गाय का घी (सौंरठ) का भण्डारण वास्ते विक्रय करते हुए व कब्जे में रखें हेतु पाये गये। उक्त विक्रेता/मालिक से खाद्य अनुज्ञा–पत्र मांगा, इन्होने एफएसएस अनुज्ञप्ति मै. जय मार्केटिंग, जीएसटी प्रमाण पत्र मै. जय मार्केटिंग, पहचान पत्र आधार कार्ड पेश किया। दुकान/परिसर का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ गाय का घी (सौंरठ) 1 लिटर के 04 जार 5 लिटर के 2 जार के 04 कार्टून, 15 किलो के 06 टिन आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर रूबरू गवाह श्री दिनेश चौधरी पुत्र श्री पेमाराम निवासी – गांव– धुन्धाड़ा पंचायत समिति औसियां जिला जोधपुर एवं मेरे साथ गये श्री भैराराम प्रजापत सहायक कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर की उपस्थिति खाद्य पदार्थ गाय का घी (सौंरठ) 1 लिटर की जाचं एफ.एस.एस. एक्ट के तहत खरीद कराने के लिए विक्रेता को कहा गया एवं इसकी सुचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर श्री ओमप्रकाश सोनी को दिया गया। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया गया कि यह गाय का घी (सौंरठ) 1 लिटर का नमूना वास्ते जांच एफ.एस. एस.एक्ट के तहत जांच कराने हेतु खरीद कर रहा हूँ। उक्त प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को 1320 रूपये नगद देकर गाय का घी (सौंरठ) 1 लिटर के चार जार एक ही बैंच एवं निर्माण तिथी के वास्ते रसायनिक जांच नमूनीकरण हेतु खरीद किया। रसीद/केश मेमो संख्या प्राप्त की (श्री ओमप्रकाश सोनी के द्वारा हस्तलिखित) जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

उक्त खरीदशुदा गाय का घी (सौंरठ) 1लिटर के चार जार नमूना भागो हेतु लेबल तैयार किये जिस पर अभिहित अधिकारी कोड व सीरियल नम्बर एम–2669 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–2669 हस्ताक्षर युक्त डॉ. बलव[illegible] मण[illegible] अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:32 IST
Reason: SelfAttested

एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–2669 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

उक्त नमूना लेने के पश्चात् गाय का घी (सौंरठ) 5 लिटर के 2 जार के 04 कार्टून, 15 किलो के 06 टिन सिज्ड कर सम्पूर्ण माल को उक्त परिसर में एफबीओ श्री ओमप्रकाश सोनी को जरिये प्रारूप–2 एवं प्रारूप–3 के द्वारा जब्त कर उनकी सुरक्षित अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। उक्त दोनों प्रारूप संलग्न हैं।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एवं नमूने का विवरण अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 23.10.2021 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:32 IST
Reason: SelfAttested

एम–2669 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 22.10.2021 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 22.10.2021 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 511–513 दिनांक 03.11.2021 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट एल. एस. 707/एक्ट/2021/802 दिनांक 03.11.2021 संलग्न कर अप्रार्थीगण को नियम 2.4.6 (1) एवं धारा 46 (4) के तहत प्रेषित की गई। उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (सौंरठ) अमानक स्तर (Sub-Standard) होना पाया गया। उक्त पत्र मय रजि0 रसीद एवं मूल विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न हैं।

श्री ओमप्रकाश सोनी ने गाय का घी (सौंरठ) की आगामी खरीद हेतु मैसर्स महावीर एन्ट0 179 गली संख्या 07 मिल्क मैन कोलोनी जोधपुर का इनवोईस 525 दिनांक 23.08.2021 प्रेषित किया जो मय पत्र संलग्न हैं।

मैसर्स महावीर एन्ट0 179 गली संख्या 07 मिल्क मैन कोलोनी जोधपुर एवं निर्माता फर्म 2. YASH DAIRY SPICES & FOODS PVT. LTD. VALSAD, GUJRAT को मय फार्म 5 ए पत्र संख्या 511–513 दिनांक 03.11.2021 संलग्न कर उन फर्म दस्तावज चाहे गये। उक्त मय पत्र रजि0 रसीद–2 एवं प्राप्ती का ट्रेक रिकार्ड संलग्न हैं।

मैसर्स महावीर एन्ट0 179 गली संख्या 07 मिल्क मैन कोलोनी जोधपुर ने मैसर्स महावीर एन्ट0 जोधपुर का इनवोईस 525, मैसर्स महावीर एन्ट0 जोधपुर एवं मैसर्स यश डेयरी वलसाड गुजरात को लिखा पत्र 54–55, पत्र 54–55 का ट्रेक रिकार्ड, मैसर्स महावीर एन्ट0 जोधपुर का जीएसटी प्रमाण पत्र, श्री सौरभ खेतान का पहचान पत्र आधार कार्ड, मैसर्स यश डेयरी वलसाड गुजरात का इनवोईस 123, मैसर्स यश डेयरी का वलसाड गुजरात का एफएसएसए अनुज्ञप्ति, मैसर्स यश डेयरी वलसाड गुजरात का नोमिनी प्रमाण पत्र फार्म–9, मैसर्स यश डेयरी गुजरात का जीएसटी प्रमाण पत्र, नोमिनी श्री वडोदरिया किशोरभाई सावजी भाई का पहचान पत्र प्रस्तुत किया जो संलग्न हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:32 IST
Reason: SelfAttested

श्री ओमप्रकाश सोनी के आवेदन मय उनकी फर्म के दस्तावेज एवं फार्म. VIII अपील पर उक्त नमूना खाद्य पदार्थ गाय का घी (सौंरठ) 1 लिटर एम–2669 श्री अभिहित अधिकारी जोधपुर के द्वारा श्री निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेटरी, पूणे को पुनः जांच हेतु जरिये मेमोरेण्डम पत्र संख्या 636–638 दिनांक 28.12.2021 प्रेषित किया जिसकी जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या RFL/DO/P/22/36/2022 दिनांक 18.01.2022 के अनुसार खाद्य गाय का घी (सौंरठ) अन्तर्गत धारा 3(1)(zx) के तहत अमानक स्तर (Sub-standard) अन्तर्गत Food Safety and Standards Act, 2006 होना पाया गया। जो कि एफ.एस.एस.एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघंन है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री गौरव भाटी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.06.2022 को तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के द्वारा दिनांक 29.06.2022 को जबाव पेश कर दिया गया। पत्रावली गत 2 वर्षों से बहस हेतु नियम है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस नहीं की जा रही है। अप्रार्थीगण को बहस हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस कारण पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 24.06.2024 को रखी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म मैसर्स जय मार्केटिंग, कुम्हारों का बास, ओंसिया, जिला जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु गाय का घी (सौंरठ) का नमूना लिया गया जो जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन होने के कारण धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी संख्या 01 ओमप्रकाश सोनी के द्वारा अग्रिम खरीद के बिल पेश किये गये जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त घी अप्रार्थी संख्या 02 से खरीद किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 01 पर किसी भी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:32 IST
Reason: SelfAttested

शास्ति आरोपित करना न्यायोचित नही है। अप्रार्थी संख्या 02 सौरभ खेतान पुत्र सुरेश खैतान व अप्रार्थी संख्या 03 वडोदरिया किशोरभाई सावजी भाई पर शास्ती रूपये 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपीः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/ दिनांक :—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. ओमप्रकाश सोनी पुत्र हेमराज सोनी (माहेश्वरी) फर्म मैसर्स जय मार्केटिंग, कुम्हारों का बास, ओंसिया, जिला जोधपुर। निवासी कुम्हारों का बास, ओसियां जोधपुर।
4. सौरभ खैतान पुत्र सुरेश खैतान, फर्म मैसर्स श्री महावीर इन्टरप्राईजेज, प्लॉट संख्या 179, गली संख्या 07, मिल्क मैन कोलोनी, जोधपुर। निवासी वार्ड नम्बर 01, ईन्दरा नगर, झुन्झून, राजस्थान।
5. वडोदरिया किशोरभाई सावजी भाई (नोमिनी)। फर्म मैसर्स YASH DAIRY SPICES & FOODS PVT. LTD. PLOT NO. 6, BLOCK NO. 462, SURVEY NO. 776 KARSAN FALIA, OZAR ROAD, MOTAPONDHA - 396191, DIST VALSAD, GUJRAT निवासी 25, वृज विहार सोसायटी, बापू नगर, अहमदाबाद सिटी, गुजरात 380023।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:32 IST
Reason: SelfAttested